

बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

स्वीकृत्यादेश संख्या-5/श्रम स्था0 विवेकानुदान-01/2024 श्र0सं0- पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय:-

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विवेकानुदान के तहत आवंटित राशि
रु0-5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र के अन्तर्गत निम्नांकित 20 (बीस) छात्र/छात्राओं
(लाभार्थियों) के नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार कुल रु0 5,00,000/- (पाँच लाख
रुपये) मात्र लाभार्थियों के नाम के सम्मुख कंडिका-5 में उल्लेखित राशि कंडिका-3 में
उल्लेखित बैंक खाता में भुगतान हेतु व्यय की स्वीकृति।

क्र0सं 0	छात्र/छात्रा(लाभार्थी) का नाम	खाता संख्या	IFSC Code	राशि
1	2	3	4	5
1	HARERAM KUMAR	7163309535	IDIB0005686	25000/-
2	ANSHU KUMAR	73690100158280	PUNB0NB6806	25000/-
3	ANJEET KUMAR	50420271437	ALLA0211620	25000/-
4	RAHUL KUMAR	59189464379	IDIB000D645	25000/-
5	MOHIT KUMAR	59123410126	IDIB000D645	25000/-
6	ANKIT KUMAR	45498100002616	BARB0DINARA	25000/-
7	MD. ILIYAS ANSARI	59152540831	IDIB000D645	25000/-
8	PANKAJ KUMAR	45498100002615	BARB0DINARA	25000/-
9	ANCHAL SINGH	59138768413	IDIB000D645	25000/-
10	MANISH KUMAR	7111239352	IDIB0005686	25000/-
11	CHHOTU KUMAR	4000307396	CBIN0284876	25000/-
12	ROHIT KUMAR	59164612169	IDIB000D645	25000/-
13	ANSHU KUMAR	159198052228	ALLA0212326	25000/-
14	NITESH KUMAR	3689233214	CBIN0284876	25000/-
15	VISHAL KUMAR	69011500006950	PUNB0MGB06	25000/-
16	PAWAN KUMAR	45498100007832	BARB0DINARA	25000/-
17	RAHUL KUMAR	59118268313	IDIB0005686	25000/-
18	SHREEKANT KUMAR	11390017001503 60	PUNB0113900	25000/-
19	SHUBHAM KUMAR	45498100004519	BARD0DINARA	25000/-
20	RAHUL KUMAR	59185522609	IDIB000D645	25000/-

कुल राशि ₹5,00,000/-
(पाँच लाख रुपये) मात्र।

आदेश- स्वीकृत।

2. उपर्युक्त विषय पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के पत्रांक-349 दिनांक-17.04.2025 द्वारा माननीय मंत्री,
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के विवेकानुदान मद में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये रु0 5,00,000/- (पाँच
लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की गई है, जिसमें माननीय मंत्री स्वेच्छानुसार संलग्न सूची में अंकित 20
(बीस) छात्र/छात्राओं (लाभार्थियों) के नाम के सम्मुख अंकित राशि पठन-पाठन हेतु स्वीकृत किया जाता है।

कृ०पृ०उ०

3. अनुदान का विवरण निम्नलिखित है:-

क.	अनुदान पाने वाले का नाम एवं पता	सूची संलग्न है।
ख.	अनुदान का अभिप्राय	पठन-पाठन हेतु।
ग.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जो इस राशि की निकासी एवं भुगतान करेंगे।	उप सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
घ.	कोषागार जहाँ से निकासी की जायेगी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
च.	वित्तीय वर्ष- 2025-26 के अन्तर्गत स्वीकृत राशि	रु० 5,00,000/-
छ.	बची हुई राशि	शून्य

4. यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विवेकानुदान मद में आवंटित राशि-5,00,000 /-(पाँच लाख रुपये) के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2013-मंत्रिपरिषद् उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-105-मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-उप शीर्ष-0002 मंत्रियों का वैवेकिक अनुदान- विषय शीर्ष-3601- विवेकानुदान-विपत्र कोड सं०-04-2013001050002 मांग संख्या-04 से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक-2561 दिनांक-17.04.1998 में दिये गये निदेश के आलोक में की जा रही है।

10. विद्यालय/कॉलेज/संस्थान प्रधान संबंधित छात्र/छात्राओं से इस आशय का प्रमाण प्राप्त कर लेंगे कि उस व्यक्ति द्वारा अन्य किसी प्रकार का वैवेकिक अनुदान प्राप्त नहीं किया गया है और न ही इस हेतु अन्यत्र अभ्यावेदन दिया गया है।

7. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० विवेकानुदान-01/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० विवेकानुदान-01/2024 श्र०सं०-

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- सरकार के सभी विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/मा० मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/सभी माननीय मंत्री के आप्त सचिव/बिहार विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आप्त सचिव/बिहार विधान परिषद् के माननीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-5/श्रम स्था० विवेकानुदान-01/2024 श्र०सं०-

236

पटना, दिनांक 26/10/25

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बजट शाखा/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आईटी० मैनेजर/लेखा शाखा (सरकार पक्ष)श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव